

தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுக் கழகம் தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு அமைச்சகம்,இந்திய அரசு कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**,भारत सरकार)** EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, **Govt of India**)



மண்டல அதுவலகம்/ ம்கிர தாரின்/Regional Office பஞ்சதிப் பவன், 143, ஸ்டெர்லிங் சாலை, ஜங்கம்பாக்கம், சென்னை - 600 034 पंचदीप भवन, सं. 143, स्टीर्लिंग रोड, नुंगमबक्कम, चेत्रे - 600 034. PANCHOEP BHAVAN,143,STERLING ROAD, NUNGAMBAKKAM-600 034. Phone: 044 - 28306300 E-mail: rd-tamilnadu@esic.nic.in Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

दिनांक Date :01.11.2021

सं. 51/N15/2021/ समन्वय /Dist. Wise Impln(M Vol 2)

परिपत्र CIRCULAR

विषयः तमिलनाडु के तंजावुर और कोयम्बतूर जिलों (पहले से कार्यान्वित क्षेत्रों सहित) के भौगोलिक क्षेत्रों में क. रा. बी. योजना के कार्यान्वयन संबंधी।

Sub: Implementation of ESI Scheme in new Geographical areas of Coimbatore and Thanjavur districts, Tamil Nadu (including already implemented areas)

यह सूचित किया जाता है कि तमिलनाडु के तंजावुर और कोयम्बतूर जिलों (पहले से कार्यान्वित क्षेत्रों सहित) के भौगोलिक क्षेत्रों में क. रा. बी. योजना का कार्यान्वयन 1 नवंबर 2021 से प्रभावी होगा। यह आपकी सूचना एवं अग्रीम आवश्यक कार्रवाई हेतु।

It is informed that the ESI Scheme has been implemented to new geographical areas of **Coimbatore and Thanjavur districts**, Tamil Nadu (including already implemented areas) with effect from <u>1st November 2021</u>. This is for your information and further necessary action.

उप निदेशक (समन्वय) Deputy Director (Coordn) कृते अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक For Addl. Commissioner & RD

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु / Copy to information and necessary action to:

- निदेशक, क रा बी नि अस्पताल के. के नगर, चेन्नै -78 | The Director, ESIC Hospital, K.K. Nagar, Chennai 78.
- 2. राज्य चिकित्सा अधिकारी, क्षे. का. चेन्नै -34 | The State Medical Officer, R.O. Chennai-34
- 2. राज्य प्रसारक (संतर्कता), क रा बी नि, क्षे. का., चेन्नै । The Director (Vigilance), ESIC, R.O, Chennai
- 4. क्षेत्रीय कार्यालय की सभी शाखाएं | To all Branches in Regional Office.

5. आई.सी.टी. विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु । ICT Division to upload in the website.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

B-



HRA an **AJUA** The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102021-230817 CG-DL-E-29102021-230817

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4165] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 29, 2021/कार्तिक 7, 1943 No. 4165] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 29, 2021/KARTIKA 7, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4526(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 नवम्बर, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध तमिलनाडु राज्य के कोयम्बत्तूर और तंजावुर जिलों के सभी क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे अर्थात्,—

(i) अध्याय 4 की धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 43 और धारा 45अ से धारा 45ज तक;

(ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक; और

(iii) अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 और धारा 83।

[फा. सं. एस–38013/09/2021–एस.एस.I]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

6281 GI/2021

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2021

S.O. 4526(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1^{st} day of November, 2021, as the date on which the provisions of the said Act, namely, —

(i) sections 38, 39, 40, 41, 42, 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;

(ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and

(iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI,

shall come into force in all the areas of Coimbatore and Thanjavur districts in the State of Tamil Nadu.

[F. No. S-38013/09/2021-SS.I] R. K. GUPTA, Jt. Secy.

2